

1

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.5(4)आरपीजी/एएस/2020

जयपुर दिनांक 09/03/2021

-: आदेश :-

विषय:- जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था :-

माह के द्वितीय गुरुवार एवं तृतीय गुरुवार तथा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर्स स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी तथा उपखण्ड के विकास अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विचार विमर्श कर क्षेत्र की 10-10 पंचायतों के कलस्टर्स तैयार कर जिला कलक्टर को अनुमोदनार्थ भिजवाये जायेंगे।

माह के द्वितीय गुरुवार को उपखण्ड के प्रथम कलस्टर तथा तृतीय गुरुवार को द्वितीय कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार अगले माह के द्वितीय गुरुवार को तृतीय कलस्टर तथा तृतीय गुरुवार को चतुर्थ/प्रथम (जैसी भी स्थिति हो) कलस्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

जनसुनवाई बैठक में क्षेत्र के माननीय विधायक, प्रधान पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड के विकास अधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सहायक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग आदि के अधिकारियों के अतिरिक्त कलस्टर से संबंधित समस्त विभागों के उपखण्ड स्तरीय अधिकारी, संबंधित कलस्टर्स की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित संबंधित उपखण्ड के अन्य अधिकारी/कार्मिक भी भाग लेंगे। आमजन की जानकारी के लिए बैठक तिथि, समय तथा स्थल का प्रचार प्रसार कलस्टर्स की सभी ग्राम पंचायतों में किया जायेगा।

ग्राम पंचायत समूह/ कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन माह के प्रत्येक द्वितीय व तृतीय गुरुवार को निर्धारित समय पर कलस्टर की सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से इस प्रकार किया जायेगा कि कलस्टर की सभी ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई उपरान्त अगली जनसुनवाई पुनः उसी क्रम में हो ताकि एक एक कर क्रमशः सभी पंचायतों में क्रमिक रूप से जनसुनवाई की जा सकें।

पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को जनसुनवाई में प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई इनके बाद की जावे। जनसमस्याओं की सुनवाई तथा समाधान की प्रक्रिया में जन भावनाओं का समुचित सम्मान किया जावे।

जन सुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व चिन्हिकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी जावे। चिन्हित प्रकरणों के संबंध में पूर्व तैयारी, आवश्यक जांच/तथ्यात्मक परीक्षण, सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सकें। चिन्हित प्रकरणों से पृथक तत्समय ही प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का भी जनसुनवाई में मौके पर ही उचित निस्तारण किया जावे।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण त्वरित समाधान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई में निस्तारित किया जावे तथा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जो पूर्व में निस्तारित किये जा चुके हैं, परन्तु संबंधित परिवादी असंतुष्ट है तथा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरणों जिनमें एक से अधिक विभागों के स्तर से समाधान किया जाना हो, उनको जनसुनवाई में सम्मिलित करते हुए विशेष संवेदनशीलता रखते हुए निस्तारित किया जावे।

उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में सम्मिलित किये जाने के क्रम में परिवादियों द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं का रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे तथा क्रमिक रूप से जनसुनवाई में सम्मिलित करते हुए निस्तारण किया जावे। परिवादियों को प्राप्ति रसीद दी जावे। प्राप्त परिवेदनाओं को सम्पर्क पोर्टल पर जनसुनवाई तिथि के तीन दिवस में आवश्यक रूप से दर्ज किया जावे।

ग्राम पंचायत समूह/क्लस्टर स्तरीय जनसुनवाई बैठकों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि स्थानीय जन समस्याओं एवं व्यक्तिगत परिवेदनाओं का जहां तक संभव हो मौके पर ही समाधान किया जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के स्तर से पालना रिपोर्ट प्राप्त की जावे। जनसुनवाई में उपस्थित होने वाले ऐसे परिवादी जो तत्समय ही उपस्थित होकर अपनी परिवेदना प्रस्तुत करे, उनके भी समाधान तुरंत किये जावे। यदि बैठक के दिन ऐसी परिवेदनाओं का समाधान संभव नहीं हो तो आगामी जन सुनवाई बैठक से पूर्व शीघ्रातिशीघ्र ऐसे प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया जावे ताकि आगामी बैठक में ऐसे परिवादियों के उपस्थित होने पर उनको संतोषप्रद जवाब/समाधान प्राप्त हो सके। इस बारे में परिवादी को सूचित भी किया जावे।

2. उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था :-

माह के अंतिम शुक्रवार अथवा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को माननीय विधायक एवं उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में क्षेत्र के माननीय विधायक, प्रधान पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, उपखण्ड के विकास अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, सहायक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि के अतिरिक्त समस्त उपखण्ड स्तरीय अधिकारी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष रूप से आमंत्रित अन्य अधिकारी/कार्मिक भाग लेंगे। जनसुनवाई हेतु उपयुक्त बैठक स्थल का चुनाव उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा आमजन की जानकारी के लिए बैठक तिथि, समय व स्थल का प्रचार प्रसार भी किया जायेगा।

पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को जनसुनवाई में प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों की जनसुनवाई इनके बाद की जायेगी। जनसमस्याओं की सुनवाई तथा समाधान की प्रक्रिया में जन भावनाओं को उचित सम्मान दिया जावे।

जनसुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व चिन्हिकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए यथा समय पूर्व सूचना दी

जावे। चिन्हित प्रकरणों के संबंध में पूर्व तैयारी, आवश्यक जांच/तथ्यात्मक परीक्षण व सत्यापन पहले से ही कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई के समय उचित निस्तारण हो सकें। चिन्हित प्रकरणों से पृथक, तत्समय ही प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का भी जनसुनवाई में मौके पर ही उचित निस्तारण किया जावे।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी गुणवत्तापूर्ण त्वरित समाधान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई में निस्तारण किया जावे। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरण जो पूर्व में निस्तारित किये जा चुके हैं, परन्तु संबंधित परिवादी असंतुष्ट है अथवा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरणों जिनमें एक से अधिक विभागों के स्तर से समाधान किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों को जनसुनवाई में सम्मिलित करते हुए विशेष संवेदनशीलतापूर्वक निस्तारित किया जावे। परिवेदनाओं का परिवेदना रजिस्टर में इन्द्राज किया जावे तथा क्रमिक रूप से निस्तारण किया जावे। परिवादियों को प्राप्ति रसीद दी जावे। प्राप्त परिवेदनाओं को जनसुनवाई तिथि से तीन दिवस में आवश्यक रूप से सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाकर मॉनिटरिंग की जावे।

जनसुनवाई में अपरिहार्य कारणवश जिन परिवादियों के प्रकरण निस्तारित नहीं किये जा सकें हों, उनको रजिस्टर में दर्ज किया जाकर आगामी जनसुनवाई से पूर्व शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जावे तथा संबंधित परिवादी को निस्तारण की सूचना दी जावे। उपखंड अधिकारी जनसुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियत दिवस (माह के प्रथम सप्ताह में) को जिला कलक्टर को भिजवायेंगे।

3. जिला स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान की व्यवस्था :-

माह के प्रथम शुक्रवार अथवा उक्त दिवस को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को जिला कलक्टर के स्तर पर जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख व अन्य जन प्रतिनिधिगण के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक व सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, संबंधित आयुक्त नगर परिषद/नगर निगम, सचिव नगर विकास न्यास आदि भाग लेंगे। इसके अलावा आवश्यक होने पर जिला कलक्टर द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित अन्य संबंधित अधिकारीगण भी भाग लेंगे।

जिला मुख्यालय पर पदस्थापित विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारीगण भी जिला स्तरीय जनसुनवाई में भाग लेंगे। बैठक स्थल का चुनाव जिला कलक्टर द्वारा किया जायेगा तथा आमजन की जानकारी के लिए जनसुनवाई बैठक स्थल, तिथि व समय का प्रचार प्रसार भी किया जायेगा।

पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सड़क आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को जनसुनवाई में प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य विभागों के प्रकरणों की जनसुनवाई इनके बाद की जायेगी।

जनसुनवाई में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित प्रकरणों का पूर्व-चिन्हिकरण किया जाकर आवश्यक तथ्यात्मक जांच, परीक्षण एवं सत्यापन कर लिया जावे ताकि जनसुनवाई में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा सके। पूर्व चिन्हित प्रकरणों के अतिरिक्त जनसुनवाई में तत्समय प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भी पूर्ण संवेदनशीलतापूर्वक निस्तारण किया जावे।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों के अतिरिक्त बैठक में, सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पूर्व निस्तारित प्रकरणों में असंतुष्ट परिवादियों की परिवेदनाओं तथा सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ऐसे प्रकरणों जिनमें एक से अधिक विभागों के स्तर से समाधान किया जाना आवश्यक हो, को विशेष संवेदनशीलतापूर्वक सुनकर निस्तारित किया जावे।

राज्य स्तर पर प्राप्त परिवेदनायें जो जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जाती हैं, को जनसुनवाई में उचित समाधान करने के लिए सम्मिलित कर निस्तारण किया जावे परन्तु ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ना हो इसलिए जनसुनवाई में रखे जाने का इन्तजार नहीं किया जावे बल्कि शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण का हर संभव प्रयास किया जायेगा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में ऐसे परिवादी भी उपस्थित हो सकते हैं जिनके परिवेदनाओं का समाधान उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में नहीं हो पाया है। ऐसे प्रकरणों को जनसुनवाई में सम्मिलित करने के लिए पूर्व में ही चिन्हीकरण करते हुए संबंधित परिवादियों को जिला स्तरीय जनसुनवाई में उपस्थित होने के लिए पूर्व सूचना दी जावे। साथ ही संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों से प्रकरण के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट नियत जनसुनवाई दिवस से पूर्व ही प्राप्त कर ली जावे ताकि जनसुनवाई में उचित समाधान किया जा सके। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को जनसुनवाई के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर सकेंगे।

4. जनसुनवाई के संबंध में प्रभावी पर्यवेक्षण व्यवस्था :-

ग्राम पंचायत/कलेक्टर, उपखंड स्तर एवं जिला स्तर पर उपरोक्तानुसार आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों का जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त के स्तर पर गहन/सघन पर्यवेक्षण किया जायेगा :-

(क) जिला कलेक्टर के स्तर पर पर्यवेक्षण :-

जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम 2 कलेक्टर स्तरीय तथा 2 उपखंड स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में भाग लें तथा जिले में जनसुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप JS-1 में प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को माह के प्रथम सप्ताह में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला कलेक्टर द्वारा जिले में सभी स्तरों पर आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किये जाने तथा संबंधित आवेदक को उसकी प्राप्ति रसीद दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त सभी परिवेदनाओं को जनसुनवाई से 03 दिवस के भीतर संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाने की व्यवस्था की जावेगी।

ग्राम पंचायत समूह/कलेक्टर, उपखंड स्तर व जिला स्तर की जनसुनवाई हेतु स्थान का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाकर तत्संबंधी आदेश संबंधित सभी अधिकारियों को यथासमय जारी किये जायेंगे तथा आमजन की जानकारी हेतु जनसुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान का प्रचार प्रसार किया जायेगा।

प्रत्येक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। ऐसे नोडल अधिकारीगण द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहकर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा। सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ जिले में जनसुनवाई के जिला स्तरीय समन्वयक का कार्य करेंगे।

जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्रस्तुत होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को पृथक से दर्ज किया जाकर उपखंड अधिकारी व विकास अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित संबंधित जिला कलेक्टर को एवं जिला कलेक्टर द्वारा अपनी टिप्पणी सहित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा।

जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि जनसुनवाई में प्रस्तुत होने वाली आमजन की परिवेदनाओं का संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संवेदनशीलतापूर्वक त्वरित समाधान हो तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही/अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जावे।

(ख) संभागीय आयुक्त के स्तर पर पर्यवेक्षण :-

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2020 के द्वारा संभागीय आयुक्तों को अधीनस्थ जिलों में राज्य कार्यों के पर्यवेक्षण का विशेष दायित्व सौंपा गया है। संभागीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक माह संभाग के सभी जिलों का सघन पर्यवेक्षण/दौरा किया जाता है। अतः संभागीय आयुक्त संभाग में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय/उपखंड स्तरीय/ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा माह में कम से कम 1 जिला स्तरीय, 4 उपखंड स्तरीय व 4 ग्राम पंचायत समूह/ कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों का निरीक्षण करेंगे।

जनसुनवाई कार्यक्रमों में आमजन से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव/आवेदन पत्र/मांग भी प्राप्त होंगे। इन्हें संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा टिप्पणी सहित संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा। संभागीय आयुक्त द्वारा उक्त विकास प्रस्तावों का परीक्षण किया जाकर उचित टिप्पणी सहित संबंधित विभाग के सचिव/सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

संभागीय आयुक्त का यह दायित्व होगा कि संभाग के सभी जिलों में जनसुनवाई का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो तथा अधिकारीगण द्वारा परिवादियों की परिवेदनाओं का संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित समाधान किया जाये। इस उद्देश्य से संभागीय आयुक्त द्वारा संभाग के सभी जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम का नियमित रूप से प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा। संबंधित संभाग में जनसुनवाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप JS-2 में प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को भिजवाई जायेगी।

(ग) राज्य स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण :-

जन अभियोग निराकरण विभाग जनसुनवाई कार्यक्रम का नोडल विभाग होगा। विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई की प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी तथा संभागीय आयुक्तगण तथा जिला कलक्टर से प्राप्त होने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाकर प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

निदेशक, लोक सेवाएं एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग इसके लिए राज्य स्तरीय समन्वयक होंगे।

कोविड-19 के मद्देनजर विशेष व्यवस्थाएँ :-

राज्य सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता महा अभियान भी चलाया गया है ताकि आमजन को कोरोना से बचने के उपायों की जानकारी मिल सके। अतः स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जनजागरूकता अभियान के मद्देनजर ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर स्तरीय, उपखंड स्तरीय व जिला स्तरीय जनसुनवाई बैठकों में आमजन को सामाजिक दूरी, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों को साबुन से बार बार धोना, मास्क का प्रयोग करना, चेहरे और आंखों पर हाथों से स्पर्श नहीं करना, सैनेटाइजर का उपयोग करना, छींकते और खांसते समय अपनी नाक को रूमाल अथवा टिश्यू से ढंकना, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पोष्टिक आहार लेना, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि से ग्रसित होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेना इत्यादि महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी जावे।


जनसुनवाई के समय कोरोना से बचाव के मद्देनजर सामाजिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन आदि की समुचित व्यवस्था की जावे। जनसुनवाई में भाग लेने वाले जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण/कर्मचारीगण, परिवादीगण व अन्य उपस्थित लोगों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) की पालना सुनिश्चित की जावे। साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की जावे। बैठक में सम्मिलित होने वालों को मास्क पहनकर आने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने व व्यक्तिगत सफाई रखने के बारे में जनसुनवाई से पूर्व ही उचित

माध्यमों से जानकारी दी जावे व प्रचार प्रसार किया जावे। बैठक के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचने के उपाय सुनिश्चित किये जावे।

अधिकारीगण के स्तर पर कार्यालय में प्रतिदिन जनसुनवाई :-


जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, विकास अधिकारी पंचायत समिति आदि अधिकारीगण प्रत्येक कार्य दिवस को अपने कार्यालय में उपस्थित होने वाले आमजन/परिवादी से सांय: 03:00 से 04:00 बजे तक मिलेंगे तथा जनसुनवाई कर उपस्थित लोगों के प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

जनसुनवाई की कार्यवाही में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।


(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव/ विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्यमंत्रीगण।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल।
- अतिरिक्त 10. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करावे।
11. प्रबन्धक निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
12. रक्षित पत्रावली।


(अश्विनी भगत) 9/3/21
प्रमुख शासन सचिव

जन सुनवाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(जिला कलक्टर द्वारा)

परिशिष्ट - JS 1

जिला.....

माह.....

1. जिला स्तरीय सुनवाई

क्र. स.	जनसुनवाई आयोजन की दिनांक एवं स्थान	विभाग	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			उपस्थिति प्रमुख अधिकारी गण
			प्राप्त	निस्तारित	शेष	

2. उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई

क्र. स.	जिला	उपखण्ड	सुनवाई स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			लंबित में प्रमुख 5 विभागों का संख्या सहित विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

3. ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई

क्र. स.	जिला	कुल कलस्टर	कलस्टर सुनवाई स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			लंबित में प्रमुख 5 विभागों का संख्या सहित विवरण
				प्राप्त	निस्तारित	लंबित	

4. जिला कलक्टर द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के किए गए निरीक्षण का विवरण

क्र. स.	स्तर	निरीक्षण स्थान	दिनांक	संक्षिप्त टिप्पणी
1	उपखण्ड			
2	कलस्टर			

जन सुनवाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(संभागीय आयुक्त द्वारा)

परिशिष्ट – JS 2

संभाग.....

माह.....

1. जिला स्तरीय सुनवाई

क्र. स.	जनसुनवाई आयोजन की दिनांक एवं स्थान	विभाग	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			उपस्थिति प्रमुख अधिकारी गण
			प्राप्त	निस्तारित	शेष	

2. उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई

क्र. स.	जिला	उपखण्ड	सुनवाई स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			उपखण्ड जिनमें सुनवाई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ का विवरण
				संख्या	निस्तारित	लंबित	

3. ग्राम पंचायत समूह/कलस्टर स्तरीय जनसुनवाई

क्र. स.	जिला	कुल कलस्टर	कुल कलस्टर की संख्या जिनमें सुनवाई आयोजित की गई	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं			लंबित में प्रमुख 5 विभागों का संख्या सहित विवरण
				संख्या	निस्तारित	लंबित	

4. संभागीय आयुक्त द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रमों के किए गए निरीक्षण का विवरण

क्र. स.	स्तर	निरीक्षण स्थान	दिनांक	संक्षिप्त टिप्पणी
1	जिला			
2	उपखण्ड			
3	कलस्टर			

5. जनसुनवाई के बारे में समग्र टिप्पणी

सुधार हेतु संभागीय आयुक्त द्वारा जिला प्रशासन को दिए निर्देशों का संक्षिप्त विवरण	विशेष उपलब्धियों का विवरण	सुझाव यदि कोई हो तो